

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), चित्तौड़गढ़

फ़ांक: RELIEF/LIGHTNING/2022/ANIMAL LOSS/ 382

शासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/CHI/0004700

दिनांक: 08/03/2022

(119) प्रशासनिक स्वीकृति

हसीलदार की अभिशंषा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह विभाग के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजलीसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/CHIT/2022/01554 5	नाम: Nakshtra Giri पिता का नाम: Heera Giri जिला: चित्तौड़गढ़	0, देवरी, बड़ी सादड़ी, पंचायत समिति - बड़ी सादड़ी, ग्राम पंचायत - भाणुजा, गाँव - देवरी	08/03/2022	आकाशीय बिजली	दिनांक 08-03-2022 को आकाशीय बिजली गिरने से दुधारू गाय की मृत्यु होने पर प्रार्थी श्री नक्षत्र गिरी पुत्र श्री हीरा गिरी गोस्वामी निवासी भाणुजा तहसील बड़ी सादड़ी को प्राकृतिक आपदा कोष से सहायता हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा रही है	30000
योग							30000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
चित्तौड़गढ़

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), चित्तौड़गढ़

क्रमांक: Relief/lightning/2079/2022/385

दिनांक: 08/08/2022
21/04/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL//CHI/0004169

(122) प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंषा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजलीसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/CHIT/2021/012509	नाम: Asharam Teli का नाम: Ramlal जिला: चित्तौड़गढ़	KHASRA NU. 274, KHRDI KA MAAR, निम्बाहेड़ा, पंचायत समिति - निम्बाहेड़ा, ग्राम पंचायत - रानी खेड़ा, गांव - रानी खेड़ा	24/09/2021	आकाशीय बिजली	प्रकरण में संलग्न दस्तावेज के आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री आशा राम पुत्र श्री राम लाल तेली निवासी रानिखेरा के दिनांक 24-09-2021 को आकाशीय बिजली गिरने से भैंस की मृत्यु हो जाने पर प्राकृतिक आपदा कोष से सहायता दिए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा रही है	30000
योग							30000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
चित्तौड़गढ़

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), चित्तौड़गढ़

क्रमांक: Relief/animal, loss/light/2022/387

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/CHI/0004773

दिनांक: 30/07/2022

22/08/

प्रशासनिक स्वीकृति (123)

हसीलदार की अभिशंषा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह विभाग के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजली से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/CHIT/2021/012865	नाम: Mathura Lal Regar पिता का नाम: Gokul Ji जिला: चित्तौड़गढ़	0000, REGAR MAHOLLA ARNIYA MALI, निम्बाहेड़ा, पंचायत समिति - निम्बाहेड़ा, ग्राम पंचायत - गादोला, गांव - बरड़ा	23/09/2021	आकाशीय बिजली	दिनांक 21-09-2021 को आकाशीय बिजली गिरने से एक बैल की मृत्यु होने पर प्राथी श्री मथुरालाल पुत्र श्री गोकुल रेगर निवासी अरनिया माली पंचायत बरड़ा तहसील निम्बाहेड़ा	25000
योग							25000

स राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12

M
जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
चित्तौड़गढ़